उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 में अधिसूचना संख्याः–2369/XVII(02)/2016-2(5)/2016 दिनांकः 26 दिसम्बर, 2016 द्वारा किये गये संशोधन को कियान्वित करने हेतु की प्रकिया विहित किये जाने के लिए आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 05 जून 2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे विचार विमर्श हेतु आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः–

1. श्री मनमोहन सिंह रावत, उप राजस्व आयुक्त (भू0व्य)।
2. श्रीमती विप्रा त्रिवेदी, उप राजस्व आयुक्त (भू0व्य0)।
3. श्रीमती सोनिया पन्त, प्र0 उप राजस्व आयुक्त (भू0व्य)।
4. श्री के0के0 डिमरी, सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशा0)।
5. श्री एल0एन0 मिश्रा, अपर जिलाधिकारी, हरिद्वार।
6. श्री रामजी शरण शर्मा अपर जिलाधिकारी, पौडी।
7. श्री जगदीश काण्डपाल, अपर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
8. श्री मनीष कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी, हरिद्वार।
9. श्री रजा अब्बास, उप जिलाधिकारी अल्मोड़ा।
10. श्री अबरार अहमद, तहसीलदार, हरिद्वार।
11. श्री नागेन्द्र दत्त रतूड़ी, लेखपाल, तहसील देहरादून।
12. श्री शीशपाल, लेखपाल, तहसील देहरादून।
13. श्री टीकम सिंह चौहान, सी0ओ0 हरिद्वार।

2– **पृष्ठभूमिः–** प्रदेश के विभिन्न वर्गों, विस्थापितों, आपदा प्रभावित परिवारों इत्यादि को आवंटित पट्टागत भूमि एवं उन पट्टागत भूमि पर अवैध कब्जेदारों को मालिकाना हक दिये जाने के संबंध में अधिसूचना संख्याः– 2369, दिनांकः 26–12–2016 द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त तथा समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा–2 की उपधारा (4) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कतिपय भूमियों पर इस अधिनियम का प्रसार किया गया।

उक्त के क्रम में अधिसूचना संख्या–3050, दिनांक 26–12–2016 द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त तथा समय–समय पर यथोसंशोधित) की धारा–2 की उपधारा (4) में निहित प्राविधानों के आधार पर निर्गत अधिसूचना संख्या–2369, दिनांक 26–12–2016 के द्वारा जिन भूमियों पर उक्त अधिनियम का प्रसार किया गया है, के पट्टेदारों को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रकिया के अनुसार मूल अधिनियम की धारा–130 के अन्तर्गत संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसी प्रकार अधिसूचना संख्या–3051, दिनांक 26–12–2016 द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त तथा समय–समय पर यथासंशोधित) की उप धारा–2 की उपधारा (4) में निहित प्राविधानों के आधार पर निर्गत अधिसूचना संख्या–2369, दिनांक 26–12–2016 के द्वारा जिन भूमियों पर उक्त अधिनियम का प्रसार किया गया है, के अवैध कब्जेदारों को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार मूल अधिनियम की धारा 131 के अन्तर्गत असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3— बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त उक्त अधिसूचनाओं एवं शासन में दिनांक 22–05–2017 को आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में यह नियत किया गया कि विभिन्न जनपदों से नामित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जो सुझाव प्राप्त हुये हैं, उनके आधार पर ड्राफ्ट तैयार किया जाय और उसे समस्त जिलों में भेजा जाय। जिला स्तर पर उनका अनुश्रवण कर यथा संशोधित सुझाव राजस्व परिषद् को 15 जून, 2017 तक अवश्य भेजा जाय, ताकि राजस्व परिषद् स्तर पर उनको संकलित करते हुये जिलाधिकारियों से प्राप्त सुझावों का परीक्षण करके उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित की धारा–2 की उपधारा (4) के अन्तर्गत प्रसारित भूमि के पट्टेधारकों एवं अवैध कब्जेदारों को भौमिक अधिकार दिये जाने की प्रक्रिया निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जा सके।

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई ।

(एस0एन0 पाण्डे)
आयुक्त एवं सचिव।

कार्यालय राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड देहरादून।
संख्याः-1690/रा0परि0/2017, दिनांक 21 जून, 2017।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड को मा0 अध्यक्ष के संज्ञानार्थ।
2— सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून।
2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आयुक्त एवं सचिव।
राजस्व परिषद्।
21.06.2017